राजस्थान उच्च न्यायालय निर्णय सारांश

डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या: 1408/2023 (पूनम सोनी बनाम राजस्थान राज्य) एवं अन्य संबद्ध मामले

निर्णय तिथि: 8 जुलाई, 2026
माननीय न्यायाधीश: न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह एवं न्यायमूर्ति रवि चिरानिया
प्रमुख विषय: प्राध्यापक (School Lecturer) भर्ती 2015 की संयुक्त वरिष्ठता सूची (Seniority List) तथा उप-प्रधानाचार्य (Vice Principal) पद पर पदोन्नति विवाद।

1. मामले का मुख्य विवरण और पृष्ठभूमि

यह विवाद राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 16.10.2015 के तहत विभिन्न विषयों में नियुक्त किए गए स्कूल प्राध्यापकों (Lecturers) से संबंधित है। इन शिक्षकों की नियुक्तियां अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2017 के बीच अलग-अलग तिथियों पर की गई थीं।

मुख्य विवाद: भौतिक विज्ञान (Physics), हिंदी, इतिहास और राजनीति विज्ञान जैसे बड़े विषयों के परिणाम न्यायालय में लंबित मुकदमों और स्थगन आदेशों (Stay Orders) के कारण बाधित हो गए थे। इस कारण इन विषयों के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश मिलने में 7 से 8 महीने की देरी हुई। इसके विपरीत, जिन छोटे विषयों (जैसे राजस्थानी, संगीत, दर्शनशास्त्र) पर कोई अदालती रोक नहीं थी, उनके नियुक्ति आदेश तुरंत जारी कर दिए गए।

राज्य सरकार की विसंगति: राज्य सरकार ने 21.11.2022 को एक संयुक्त वरिष्ठता सूची जारी की। इस सूची में केवल "कार्यभार ग्रहण करने/नियुक्ति की तिथि" को आधार बनाया गया। इसके परिणामस्वरूप, कम अंक प्राप्त करने वाले या बाद में घोषित परिणाम वाले अभ्यर्थी (जिनकी नियुक्ति प्रशासनिक सुगमता से पहले हो गई थी) वरिष्ठ हो गए, और अधिक अंक प्राप्त करने वाले उच्च-मेरिट के अभ्यर्थी वरिष्ठता सूची में बहुत नीचे चले गए। इस विसंगति के कारण उनका चयन वर्ष भी बदल दिया गया (2016-17 के स्थान पर 2017-18)।

न्यायालय का मुख्य निष्कर्ष: प्रशासनिक या न्यायिक देरी के कारण किसी भी अभ्यर्थी की मेरिट का बलिदान नहीं किया जा सकता। एक ही विज्ञापन और एक ही चयन प्रक्रिया के तहत चुने गए सभी अभ्यर्थी समान कानूनी उपचार के हकदार हैं।

2. न्यायालय के आदेश के मुख्य बिंदु

- **वरिष्ठता सूची निरस्त:** माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.11.2022 को जारी की गई विसंगतिपूर्ण संयुक्त वरिष्ठता सूची को पूरी तरह से गैर-कानूनी और मनमाना मानते हुए खारिज (Quash) कर दिया है।
- **समान चयन वर्ष का निर्धारण:** न्यायालय ने आदेश दिया है कि वर्ष 2015 के विज्ञापन के तहत नियुक्त सभी प्राध्यापकों को एक ही चयन वर्ष आवंटित किया जाए, चाहे उनकी नियुक्ति किसी भी तिथि को हुई हो।
- **मेरिट के आधार पर पुनर्गठन:** नई वरिष्ठता सूची का निर्माण विशुद्ध रूप से RPSC द्वारा निर्धारित मेरिट अंकों के आधार पर करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए वर्ष 2018 की प्राध्यापक भर्ती में अपनाए गए सही तरीके (जिसमें प्रत्येक विषय के टॉपर को शीर्ष स्थान और उसके बाद क्रमशः अन्य रैंक धारकों को रखा गया था) को लागू करने के आदेश दिए गए हैं।
- **कड़ा समयबद्ध निर्देश:** राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को इस पूरी वरिष्ठता सूची को दुरुस्त करने और नई सूची जारी करने के लिए **चार महीने** का समय दिया गया है।

3. वर्तमान उप-प्रधानाचार्य (Vice Principal) और प्रधानाचार्य (Principal) पर प्रभाव

इस ऐतिहासिक निर्णय का शिक्षा विभाग में कार्यरत और पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों पर व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ेगा:

A. वर्तमान उप-प्रधानाचार्यों (Vice Principals) पर प्रभाव:

- **पदोन्नतियां रद्द:** इस याचिका के लंबित रहने के दौरान विसंगतिपूर्ण सूची (वर्ष 2022) के आधार पर जितने भी व्याख्याताओं को उप-प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया था, उन सभी पदोन्नतियों को न्यायालय ने **अवैध घोषित करते हुए रद्द** कर दिया है।
- **पदमुक्ति या पदावनति की स्थिति:** वे व्याख्याता जो कम मेरिट के बावजूद केवल शुरुआती नियुक्ति तिथि के लाभ से उप-प्रधानाचार्य बन गए थे, उन्हें अब अपने मूल पद पर लौटना होगा या नई सूची में अपनी वास्तविक मेरिट के अनुसार पुनः विचार का सामना करना होगा।

B. प्रधानाचार्य (Principal) पद और आगामी DPC पर प्रभाव:

- **पदोन्नति श्रृंखला का बाधित होना:** चूंकि उप-प्रधानाचार्य की मूल वरिष्ठता सूची ही रद्द हो चुकी है, इसलिए इस सूची के आधार पर भविष्य में होने वाली प्रधानाचार्य (Principal) पद की विभागीय पदोन्नति समितियां (DPC) भी प्रभावित होंगी। प्रधानाचार्य पद के लिए की जाने वाली समीक्षा (Review DPC) अब नए सिरे से कानूनी मानदंडों के तहत होगी।

C. याचिकाकर्ताओं और उच्च-मेरिट वाले व्याख्याताओं को लाभ:

- **वरिष्ठता की बहाली:** फिजिक्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस आदि विषयों के सैकड़ों प्रतिभावान शिक्षक जो मेरिट में शीर्ष पर होने के बावजूद जूनियर बना दिए गए थे, वे अब वरिष्ठता सूची में ऊपर आ जाएंगे।
- **उचित पदोन्नति के अवसर:** इन अभ्यर्थियों को अब कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के नुकसान के बिना, राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021 के तहत उप-प्रधानाचार्य और तदनुसार प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के उचित और समान अवसर प्राप्त होंगे।

4. भविष्य की भर्तियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

न्यायालय ने राज्य सरकार (कार्मिक विभाग - DoP) के उस रुख को भी रेखांकित किया है, जिसमें भविष्य की जटिलताओं से बचने के लिए RPSC को सभी विषयों के परिणाम एक साथ ('in one go') जारी करने और दस्तावेज सत्यापन के तुरंत बाद एक ही दिन नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह का विवाद दोबारा उत्पन्न न हो।